

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/815

दिनांक: 22-1-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका, निवाई, पिलानी, विद्याविहार में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	नगरपालिका का नाम
1.	श्री शंकर चौधरी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद चौधरी पंजीयन नं. आर/3017/2006	नगरपालिका निवाई
2.	राजकुमारी बैरवा पुत्री श्री जगदीश बोहरा पंजीयन नं. आर/1023/1995	नगरपालिका निवाई
3.	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा	नगरपालिका पिलानी
4.	श्री सुधीर कुमार सैन पुत्र श्री करणलाल सैन	नगरपालिका पिलानी
5.	श्री हजारी लाल चौधरी पुत्र श्री जगमाल	नगरपालिका विद्याविहार
6.	श्री अजय सिंह कुल्हार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह कुल्हार	नगरपालिका विद्याविहार

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका, निवाई, पिलानी, विद्याविहार से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने की दशा में ही लागू होगा।


(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/815-828

दिनांक: 22-1-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग अजमेर, जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगरपालिका, निवाई, पिलानी, विद्याविहार।
06. श्री..... एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, निवाई, पिलानी, विद्याविहार।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी